

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1796] No. 1796] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2014/भाद्र 17, 1936

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2014/BHADRA 17, 1936

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 8 सितंबर. 2014

का.आ. 2287 (अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का 27) की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 8 सितंबर, 2014 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6 से धारा 15, धारा 25 से धारा 32 और धारा 41 से धारा 47 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा.सं. 5/11/सीएम/2006]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2014

S.O. 2287 (E).— In exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 1 of the Securities Laws (Amendment) Act, 2014 (27 of 2014), the Central Government hereby appoints the 8th day of September, 2014, as the date on which the provisions of section 6 to section 15, section 25 to section 32 and section 41 to section 47 of the said Act shall come into force.

[F. No. 5/11/CM/2006]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy. (Financial Market)

3576 GI/2014